C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

• वर्ष 17 • अंक 162 नागपुर, मंगलवार, 9 मई 2017 • पृष्ठ 8 • मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

भारतीय सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाए सात पाकिस्तानी बंकर

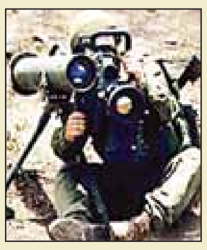

नई दिल्ली

भारतीय सेना ने अपनी जमीन से ही पाक सेना के ऊपर बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने नौशहरा सेक्टर के कसलिस्यां क्षेत्र से सीमा पार कार्रवाई करते हुए पाक सेना की एक चौकी व सात बंकर नेस्तानबूत कर दिए है। इस कार्रवाई में पाक सेना के कितने जवान मारे गए यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।

भारतीय सेना ने पाक सेना को सबक सिखाने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग किया है। एक मई को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाक की बार्डर एक्शन टीम के सदस्य जिनमें पाक सेना के विशेष कमांडो व आतंकी मौजूद थे उन्होंने भारतीय खेत्र में दाखिल होकर सेना व सीमा सुरक्षा बल के एक एक जवान को शहीद करके उनके शवों को क्षत विक्षत कर दिया था।

उस दिन भी भारतीय सेना ने पाक सेना को कड़ा जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना पाक सेना पर अपनी ही जमीन से बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट चुकी थी। अब भारतीय सेना ने पाक सेना को जवाब देने का कार्य शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग करके सीमा के उस पार पाक सेना की एक चौकी व सात बंकर तबाह कर दिए है। इस कार्रवाई में पाक सेना के जवानों के शव बंकरों के बाहर गिरते हुए देखे गए। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना इस तरह की कार्रवाई को और तेज करेगी।

जुलाई में ब्रिटिश पार्टनर संग सात फेरे लेंगी इरोम शर्मिला

इंफाल

16 सालों तक आफस्पा के विरोध में अनशन करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने अपनी शादी के रहस्य से पर्दा हटा दिया है। वे अपने पुराने ब्रिटिश पार्टनर डेसमेंड कुतिन्हो के साथ जुलाई में सात फेरे लेंगी।

एक अंग्रेजी अखबार से फोन पर हुई बातचीत के मुताबिक शर्मिला ने कहा हमने अपनी शादी की तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन जुलाई अंत तक शादी की योजना बना रहे हैं। शर्मिला ने विवादित अफस्पा कानून के खिलाफ अपने 16 वर्ष के लंबे अनशन को तोड़ने के बाद 9 अगस्त 2016 को राजनीतिक पार्टी पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस (प्रजा) का गठन किया।

लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका

चारा घोटाले में चलेगा आपराधिक साज़िश का केस

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े सभी चारों मामलों में सुनवाई का सामना करने के 8 मई को आदेश दिए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने निचली अदालत को 68 वर्षीय यादव तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई नौ माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक सुनवाई होनी चाहिए। चारा घोटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से फर्जी तरीके से 900 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है।

बिहार के पूर्व मुख्समंत्री जगन्नाथ मिश्रा एंव राज्य के पूर्व सचिव संजाल चक्रवर्ती भी इस मामले में आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2014 के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें यादव को एक मामले में दोषी ठहराते हुए शेष मामलों में उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी, कहा कि उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्षों में दृढ़ रहना चाहिए और एक ही मामले में आरोपियों के अगल अलग गुटों के लिए अलग अलग आदेश नहीं सुनाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में देरी के लिए सीबीआई की खिंचाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी के निदेशक को इस अहम मामले को देखना चाहिए था और मामले की तह तक जाने के लिए किसी अधिकरी को लगाना चाहिए था।

सीबीआइ ने झारखंड उच्च न्यायालय के 2014 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने लालू के खिलाफ लंबित चार चारा घोटाला मामलों को इस आधार रद्द कर दिया था कि एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसे मिलते जुलते मामलों में उन्हीं गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में अन्य आरोप को छोड़ कर दो धाराओं के तहत यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मांग वाली सीबीआइ की याचिका को 14 नवंबर 2014 को बरकरार रखा था।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

भाजपा का हमला, नीतीश कुमार खुद कर रहे चारा घोटाले के दोषियों का समर्थन

चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। इसकी सराहना करते हुए भाजपा ने कहा कि बिहार में कोई कानून–व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दोषियों के साथ मिले हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीशजी कहा करते थे कि वह किसी भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, मगर अब वह खुद चारा घोटाले के दोषियों के साथ हैं।

यह दर्शाता है कि बिहार में कोई कानून–व्यवस्था नहीं है, वहीं इस मुद्दे पर भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि चारा घोटाला के कारण बिहार कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, यह स्वाभाविक है कि आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार होते हो। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नीतीश कुमार ऐसे दोषियों के साथ गठबंधन में हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआइ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में लालू के खिलाफ सभी आरोपों को समाप्त करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि चारा घोटाले में हर केस का अलग से ट्रायल होगा। लालू के साथ ही जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व नौकरशाह सजल चक्रवर्ती पर भी मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई पूरी करने को कहा है और 9 महीने में ट्रायल पूरा करने निर्देश दिया है।

नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृहमंत्री राजनाथ ने दिए आठ 'मंत्र'

नई दिल्ली

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल करते हुये सभी राज्यों से साझा रणनीति बनाकर नक्सली समस्या से निपटने के लिये स्थायी समाधान का सूत्र बताया। सिंह ने सोमवार को यहां समस्याग्रस्त दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबद्ध केन्द्रीय एजेंसियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुये आठ सूत्रीय समाधान सिद्धांत के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल करने की जरूरत बतायी। सिंह ने इस सिद्धांत को कार्यरूप में लागू करने के लिये समस्याग्रस्त राज्यों के बीच एकीकृत कमान के गठन की पहल की।
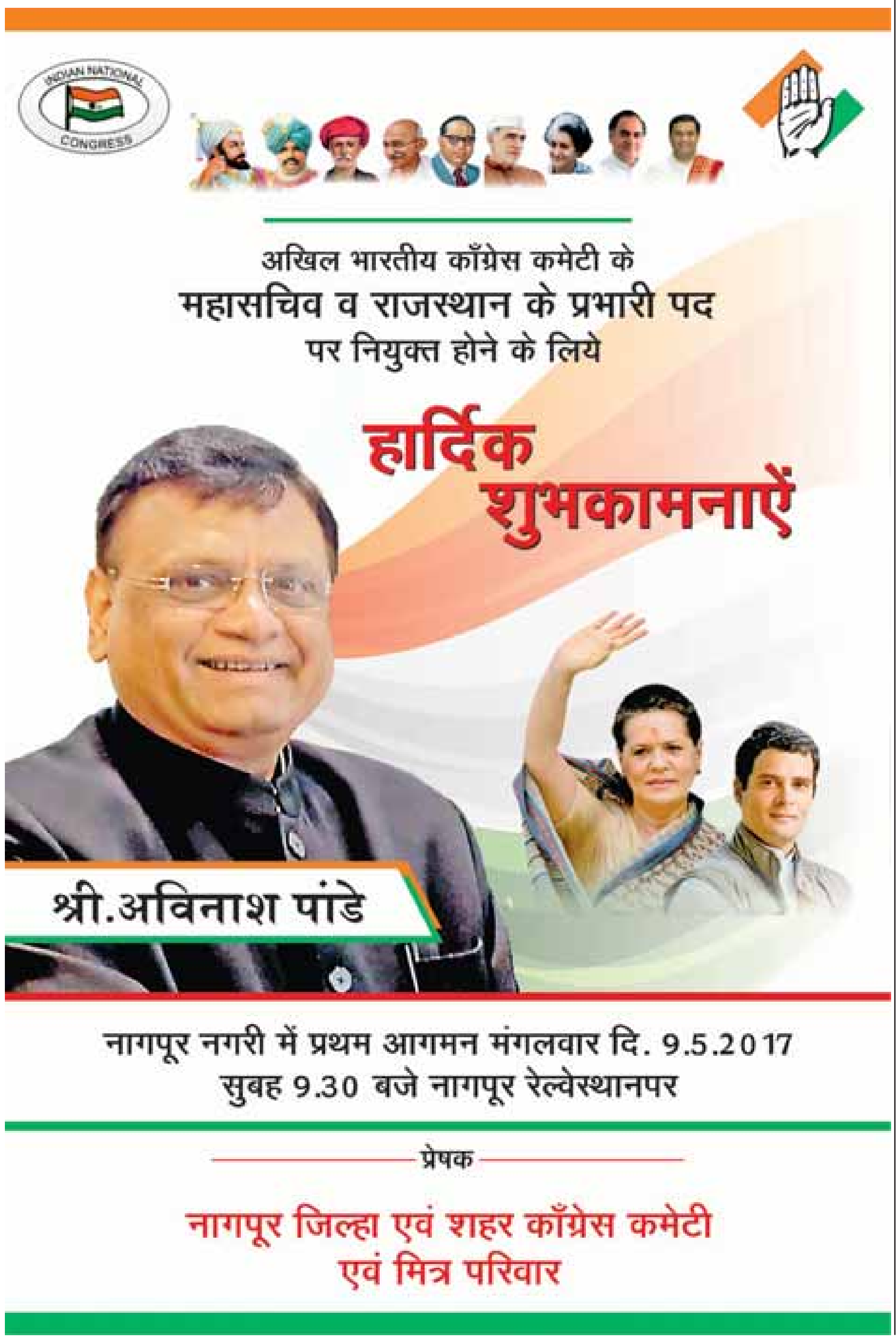
सम्मेलन में राज्यों के मुख्यमंत्री, पुलिस एवं प्रशासनिक प्रमुख, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह एवं रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी नक्सलरोधी साझा रणनीति को लागू करने के लिये एकीकृत कमान के गठन की पहल को कार्यरूप में लागू करने पर मंथन कर रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सके। इस दौरान उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नक्सल प्रभावित दो जिलों, सोनभद्र और चंदौली को तकनीक की मदद से नक्सली समस्या मुक्त करने की प्रतिबद्धता जतायी। उन्होंने कहा कि ये दोनों जिले पड़ोसी राज्यों बिहार और मध्यप्रदेश से सटे हैं। दोनों जिलों में नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने के लिये पड़ोसी राज्यों के साथ संचार एवं अन्य माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर आपसी सामंजस्य कायम किया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक संचार तकनीक को मुख्य हथियार बनाया जायेगा। इस दौरान सिंह ने पिछली घटनाओं से सबक लेते हुये नक्सल रोधी अभियानों को लागू करने में हर कदम पर आक्रामक कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया।